

विद्या विकास समिति, झारखण्ड

(संस्था का नाम)

का

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम - विद्या विकास समिति, झारखण्ड (निबंधन संख्या-927/08-09)
2. संस्था का निबंधित कार्यालय - मकान संख्या/होलिडिंग नं. - 217
गली/रोड नाम - मुख्य मार्ग - शक्ती कॉलोनी, हिन्
पोस्ट - डोरंडा, थाना - डोरण्डा,
ग्राम/शहर - राँची, जिला - राँची, पिन - 834002
3. कार्यक्षेत्र - संपूर्ण झारखण्ड
4. अस्तित्व एवं दायित्व - सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि यह संस्था अविभाजित
बिहार राज्य में "विद्या विकास समिति, बिहार" नाम से
निबंधित संस्था, जिनकी निबंधन संख्या - 1082/94-95
वर्ष - 1994-95 था, के अस्तित्व एवं दायित्वों को ग्रहण
करती है।

5. संस्था का उद्देश्य

- i) समाज के दलित, उपेक्षित एवं कमजोर वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए उनके बीच सेवा कार्य, संपर्क, स्वास्थ्य एवं निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन का उत्थान करना।
- ii) धर्म, जाति, वर्ग, भाषा अथवा प्रांत के आधार पर भेदभाव न करते हुए समाज में राष्ट्रीय एकात्मता का भाव जागृत करना।
- iii) समाज के युवक-युवतियों, छात्रों एवं महिलाओं में सहयोग, स्वाभिमान एवं देशभक्ति भावों के जागरण हेतु गोष्ठियाँ, सामूहिक सहभोज, श्रमदान, स्वास्थ्य, योग शिक्षा, प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित करना।
देश की संस्कृति एवं आदर्शों के अनुरूप ज्ञानार्जन, सदगुण एवं प्रतिभा विकास तथा शैक्षणिक विकास हेतु संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, वाचनालय, बाल बाड़ी, चिकित्सालय एवं शिक्षा केंद्र खोलना तथा निर्धन और योग्य विद्यार्थियों को पुस्तकें, वस्त्र तथा छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना।
- v) समाज के कमजोर, निर्धन परंतु मेधावी वर्गों के आर्थिक विकास हेतु सामाजिक, बानिकी, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हस्तकला, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र एवं विविध प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र खोलना तथा इस निमित्त सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं में सहयोग देकर उनके माध्यम से कार्यों को गति देना।
- vi) समाज के सभी वर्गों का चारित्रिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नैतिक जीवन मूल्यों के आधार पर सर्वांगीण विकास करना तथा ऐसे सभी कार्य करना जो उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

प्रधानाचार्य

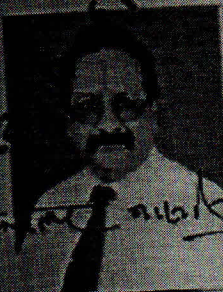
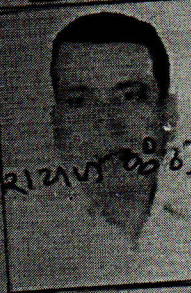
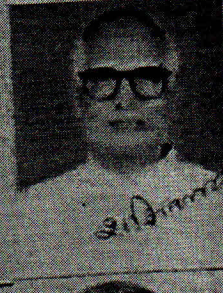
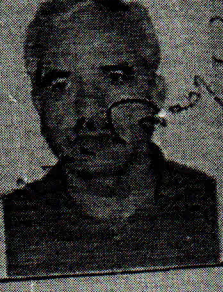
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कदलपुर, बालासौर, नगड़ी, राँची-834004

सचिव

पृष्ठ 1/1

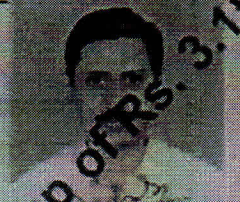
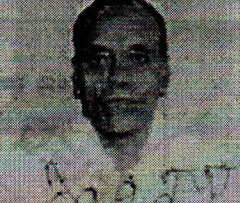
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कदलपुर, बालासौर, नगड़ी, राँची-834004

6. संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण -
निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमवली के अनुसार संस्था कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
1	श्री रामअवतार नारसरिया स्व. हीरालाल नारसरिया	वर्धमान कंपाउंड, लालपुर, राँची-834001 दूरभाष : 9334711824	53	एल.एल.बी.	आयकर अधिकृत	अध्यक्ष	
2	श्री सत्यनारायण कंठ श्री अयोध्या कंठ	क्वा.नं.- ई-4, सेक्टर-1, एच.ई.सी. कॉलोनी, धुवाँ, राँची-834004 दूरभाष : 8404940062	62	बी.एस. डिप्लोमा इन मैनेजमेंट	समाज सेवा	उपाध्यक्ष	
3	श्री दिवाकर घोष स्व. धनोदधर घोष	गाँव-राधानगर, पोस्ट-राधानगर, जिल्हा-साहेबगंज, पिन-816101 दूरभाष : 9431107735	53	स्नातक	समाज सेवा	योगदान मंत्री	
	श्री शशिकांत द्विवेदी स्व. धनुषधारी द्विवेदी	क्वा. नं.- ई/24, सेक्टर-2, धुवाँ, राँची, पिन-834004 दूरभाष : 9430796225	72	डिप्लोमा इन इंजीयरिंग	समाज सेवा	मंत्री	
5	श्री ज्वाला तिवारी श्री सुरेश तिवारी	79/1, रंका, गढ़वा, पोस्ट-रंका बैलिया, गढ़वा-822114 दूरभाष - 9204760902	49	बी.एस.-सी., बी.एड.	समाज सेवा	सह मंत्री	

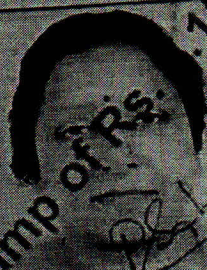
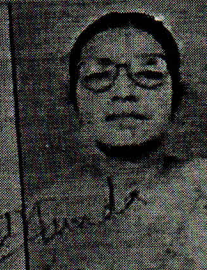
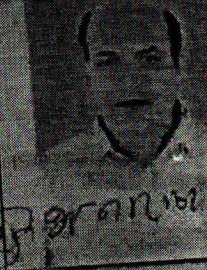
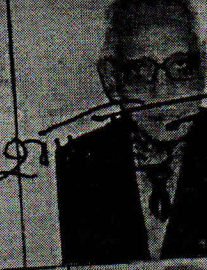
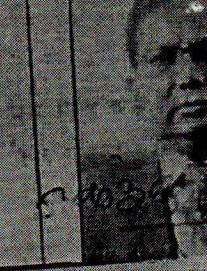
प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालीग, नगड़ी, राँची-834004

सचिव
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालीग, नगड़ी, राँची-834004

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
6	श्री विनय विभाकर श्री सिद्धिनाथ सिंह	वर्धमान कंणाउंड, लालपुर, राँची-834001 दूरभाष : 9431707816	39	सी.ए.	व्यवसाय	कोषाध्यक्ष	
7	श्री मुकेश नंदन स्व. सुरेश नंदन सिन्हा	क्वा. डी.टी.-1504, धुर्वा, राँची-834004 दूरभाष : 9470561246	53	एम.कॉम, एल.एल.बी., बी.एड.	समाज सेवा	सचिव	
8	श्री ज्ञान प्रकाश जालान स्व. शंकर लाल जालान	रंगलाल जालान रोड, बड़ालाल स्ट्रीट, अप बाजार, राँची-1 दूरभाष : 9431115212	63	स्नातक	व्यवसाय	संरक्षक सदस्य	
9	श्री देवव्रत पंडित स्व. चिंतन पंडित	120/ए, दमयंती निवास, हरिहर सिंह रोड, बरियातु रोड, मोरहाबादी, राँची-834009 दूरभाष : 8986645330	72	बी.कॉम. (आनर्स)	समाज सेवा	सदस्य	
10	श्री कृपा शंकर शर्मा स्व. अख्तियार शर्मा	प्रकाश नगर, बिरसा चौक, हिनू, डोरंडा, राँची-2 दूरभाष : 9431115347	62	स्नातकोत्तर, बी.एड.	समाज सेवा	सदस्य	

प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जालान, सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चौक राँची-834004
कुदुलुम, बाजारलोग, नगडी, राँची-834004

सचिव
आदित्य प्रकाश जालान, सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चौक राँची-834004
बाजारलोग, नगडी, राँची-834004

क्र.सं.	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
11	डा. पूनम सहाय श्री दीपक सहाय	78, बरियातु हाउसिंग कॉलोनी, बरियातु थाना नं.-19, राँची-834009 दूरभाष : 9430149799	55	पी.एच.डी.	समाज सेवा	सदस्य	
12	प्रो. सिनी मुंडा स्व. दुबराज मुंडा	राजकुटिर, हाई टेंशन कॉलोनी के निकट, तेतरी टोली, नामकुम, राँची-834010 दूरभाष : 9631349909	63	पी.एच.डी.	समाज सेवा	सदस्य	
13	श्री सुरेश नारायण ठाकुर स्व. राजवंशी ठाकुर	क्वा.नं.-08, रोड नं.-05 सर्किट हाउस एरिया (उत्तर), जमशेदपुर-1 दूरभाष : 34603805	67	बी.एस.-सी. इंजीनियरिंग	समाज सेवा	सदस्य	
14	श्री श्याम सुन्दर चौधरी स्व. गंगाधर चन्द्र चौधरी	"मिलम हाउस" (एस.एस.एल.एन.टी. महिला कॉलेज के बगल में), लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद दूरभाष : 9431122366	76	बी.कॉम., बी.एल.	आयकर अधिवक्ता	सदस्य	
15	डा. नंद कुमार इंदु स्व. गजाधर यादव	59, भगवान महावीर पथ, नाथनगर, अंचल-नाथनगर, भागलपुर-812006 दूरभाष : 9801766297	63	पी.एच.डी.	समाज सेवा	आमंत्रित सदस्य	

आदित्य प्रकाश जाजान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौड़ो गौड़िक नगर
कुदुतुम, जलारसौंग, गडडी, राँची-834004

आदित्य प्रकाश जाजान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौड़ो गौड़िक नगर
कुदुतुम, जलारसौंग, गडडी, राँची-834004

पृष्ठ ... 4/14

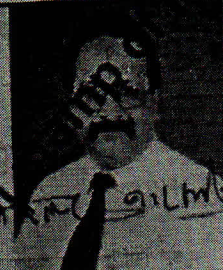
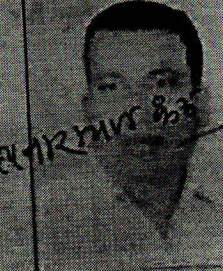
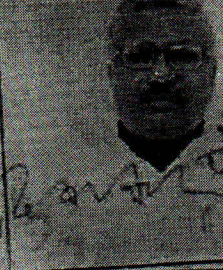
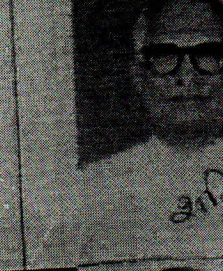
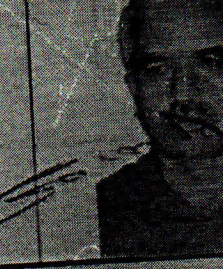
क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
16	श्री अनिल कुमार मिश्र श्री मदन मोहन मिश्र	4053, सेक्टर-4/बी, बोकारो इस्पात नगर-827004 दूरभाष : 9431354279	45	स्नातक	समाज सेवा	आर्मात्रित सदस्य	
17	श्री सिद्धि नाथ सिंह स्व. नंद बहादुर सिंह	97डी, वट्टमान कंपाउंड, हॉली क्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर, राँची-834001 दूरभाष : 9431103351	69	स्नातक	व्यवसाय	आर्मात्रित सदस्य	

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of the

प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौंधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालौंग, नगड़ी, राँची-834004

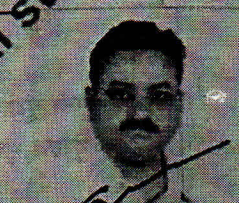
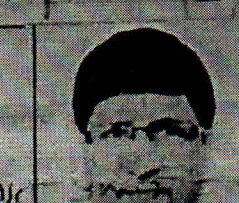
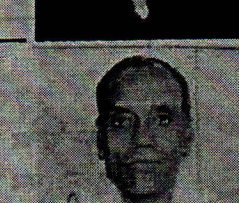
सचिव
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौंधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालौंग, नगड़ी, राँची-834004

7. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण -
निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अंतर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी हैं -

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
1	श्री रामअवतार नारसरिया स्व. हीरालाल नारसरिया	वर्धमान कपाउट, लालपुर, राँची-834001 दूरभाष : 9334711824	53	एल.एल.बी.	आयकर अधिकृत	
2	श्री सत्यनारायण कंठ श्री अयोध्या कंठ	क्वा.नं.- ई-4, सेक्टर-1, एच.ई.सी. कॉलोनी, धुवां, राँची- 834004 दूरभाष : 840494006	62	बी.एस-सी. जीनियरिंग	समाज सेवा	
3	श्री दिवाकर घोष स्व. धलीधर घोष	गाँव-गधुमार, पोस्ट-बिधानगर, जिला-साहेबगंज, पिन-816101 दूरभाष : 9431107735	53	स्नातक	समाज सेवा	
4	श्री शशिकांत द्विवेदी स्व. धनुषधारी द्विवेदी	क्वा. नं.- ई/24, सेक्टर-2, धुवां, राँची, पिन-834004 दूरभाष - 9430796225	72	डिप्लोमा इन इंजीयरिंग	समाज सेवा	
5	श्री ज्वाला तिवारी श्री सुरेश तिवारी	79/1, रंका, गढ़वा, पोस्ट-रंका बैलिया, गढ़वा-822114 दूरभाष - 9204760902	49	बी.एस-सी. बी.एड.	समाज सेवा	

प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जलान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालौंग, नगड़ी, राँची-834004

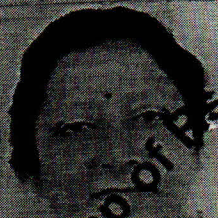
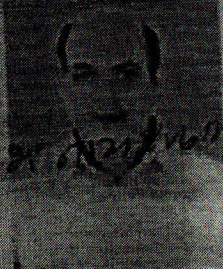
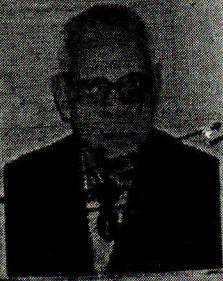
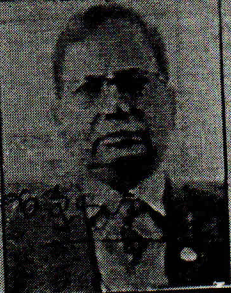
सचिव
आदित्य प्रकाश जलान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालौंग, नगड़ी, राँची-834004

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
6	श्री विनय विभाकर श्री सिद्धिनाथ सिंह	वर्धमान कंपाउंड, लालपुर, राँची-834001 दूरभाष : 9431707816	39	सी.ए.	व्यवसाय	
7	श्री मुकेश नंदन स्व. सुरेश नंदन सिन्हा	क्वा. डी.टी.-1504, धुवाँ, राँची-834004 दूरभाष : 9470561246	53	एम.कॉम., एल.एल.बी., बी.एड.	समाज सेवा	
8	श्री ज्ञान प्रकाश जालान स्व. शंकर लाल जालान	रंगलाल जालान रोड, बड़ालाल स्ट्रीट, अपर बाजार, राँची दूरभाष : 9431115212	63	स्नातक	व्यवसाय	
9	श्री देवप्रताप पाहन स्व. चिंदू पाहन	120/ए, दमयंती निवास, हरिहर सिंह रोड, बरियातु रोड, मोरहाबादी, राँची-834009 दूरभाष : 8986645330	72	बी.कॉम. (आनर्स)	समाज सेवा	
10	श्री कृपा शंकर शर्मा स्व. अख्तियार शर्मा	प्रकाश नगर, बिरसा चौक, हिनू, डोरछा, राँची-2 दूरभाष : 9431115347	62	स्नातकोत्तर, बी.एड.	समाज सेवा	

प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौड़ी शैक्षिक नगर
कुदतुम, बालासोर, नागडी, राँची-834004

सचिव
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौड़ी शैक्षिक नगर
कुदतुम, बालासोर, नागडी, राँची-834004

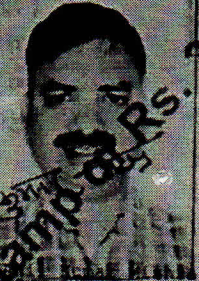
पृष्ठ 7 / 14

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	हस्ताक्षर/मुक्त फोटो
11	डा. पूनम सहाय श्री दीपक सहाय	78, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, बरियातू थाना नं.-19, राँची-834009 दूरभाष : 9430149799	55	पी.एच.डी.	समाज सेवा	
12	प्रो. सिनी मुंडा स्व. दुबराज मुंडा	राजकुटिर, हाई टेंशन कॉलोनी के निकट, तेतरी टोली, नामकुम, राँची-834010 दूरभाष : 9631349909	63	पी.एच.डी.	समाज सेवा	
13	श्री सुरेश नारायण ठाकुर स्व. राजवंशी ठाकुर	कवा.नं.-08, रोड नं. सकिंट हाउस एरिया (उत्तर), जूरीपुर-1 दूरभाष : 9234603805	67	बी.एस.-सी. इजीनियरिंग	समाज सेवा	
14	श्री श्याम सुन्दर चौधरी स्व. गणेश चन्द्र चौधरी	"नीलम हाउस" (एस.एस.एल.एन.टी महिला कॉलेज के बगल में), लूबी सर्कुलर रोड, धनबाद दूरभाष : 9431122366	76	बी.कॉम., बी.एल.	आयकर अधिवक्ता	
15	डा. नंद कुमार रंहु स्व. गजधर यादव	59, भगवान महावीर पथ, नाथनगर, अंचल-नाथनगर, भागलपुर-812006 दूरभाष : 9801766297	63	पी.एच.डी.	समाज सेवा	

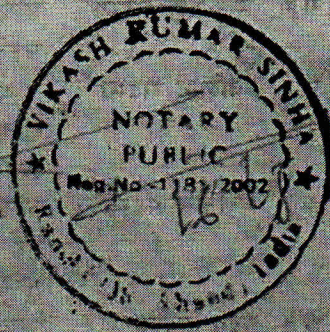
प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जलान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौधी शैक्षणिक नगर
कुदलुम, बालालोंग, नगड़ी, राँची-834004

सचिव
आदित्य प्रकाश जलान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौधी शैक्षणिक नगर
कुदलुम, बालालोंग, नगड़ी, राँची-834004

पृष्ठ ... 8/14

क्रम	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम	पूर्ण पता एवं दूरभाष	आयु	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	हस्ताक्षरयुक्त फोटो
16	श्री अनिल कुमार मिश्र श्री मदन मोहन मिश्र	4053, सेक्टर-4/जी, बोकारो इस्पात नगर-827004 दूरभाष : 9431354279	45	स्नातक	समाज सेवा	
17	श्री सिद्धि नाथ सिंह स्व. नंद बहादुर सिंह	97डी, बड़भाल कंपार्टमेंट, हॉली क्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर, राँची-834001 दूरभाष : 9431103351	69	स्नातक	व्यवसाय	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो ऊपर चिपका है तथा हस्ताक्षर ऊपर अंकित हैं, ने मेरे समक्ष ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।



प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौरी शैक्षिक नगर
कुदुलुम, बालासोर, नगरी, राँची-834004

सचिव
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौरी शैक्षिक नगर
कुदुलुम, बालासोर, नगरी, राँची-834004

विद्या विकास समिति, झारखण्ड की संशोधित नियमावली

1. परिभाषाएँ :

- (क) संस्था से अभिप्राय : संस्था से तात्पर्य "विद्या विकास समिति, झारखण्ड" होगा।
 (ख) समिति या प्रांतीय समिति से अभिप्राय : संस्था की कार्यकारिणी समिति।
 (ग) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय : वित्तीय वर्ष से तात्पर्य 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
 (घ) आमसभा या साधारण सभा से अभिप्राय : संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा।
 (ङ) पदाधिकारी से अभिप्राय : कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, मंत्री, सहमंत्री, सचिव, सह-सचिव एवं कोषाध्यक्ष।
 (च) कार्यकारिणी से अभिप्राय : कार्यकारिणी से तात्पर्य "विद्या विकास समिति, झारखण्ड" की कार्यकारिणी समिति से होगा।
 (छ) स्थानीय समिति से अभिप्राय : स्थानीय समिति से तात्पर्य संस्था के संबद्ध विभिन्न प्रकल्पों, विद्यालयों एवं शिक्षा केंद्रों की कार्यकारिणी समिति से होगा।
 (ज) अधिनियम एवं नियम से अभिप्राय है : संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 एवं बिहार संस्था निबंधन नियमावली 1965 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत तथा अधिसूचना संख्या 726 दिनांक 08.11.2005 से यथासंशोधित है)।

2. संस्था की सदस्यता की शर्तें :

संस्था के निम्नलिखित छः प्रकार के सदस्य होंगे।

- (क) संस्थापक सदस्य : संस्था की स्थापना के समय हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति संस्थापक सदस्य होंगे। इनका वार्षिक सदस्यता शुल्क 500/- रुपए होगा। इनकी सदस्यता आजीवन होगी पर शुल्क न देने की स्थिति में ये मतदान तो कर सकेंगे, परंतु कार्यकारिणी समिति के सदस्य न हो सकेंगे। संस्थापक सदस्य आपसी सहमति से अपनी संख्या वृद्धि 21 तक कर सकते हैं।
 (ख) संरक्षक सदस्य : कार्यकारिणी के निर्णयानुसार जो व्यक्ति संस्था को एक मुस्त 25,000/- रुपए या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान देंगे, वे संरक्षक सदस्य होंगे। इनकी सदस्यता आजीवन होगी।
 (ग) साधारण सदस्य : कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित व्यक्ति 100/- रुपए देकर साधारण सदस्य बन सकते हैं। इनका कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल तक रहेगा।
 (घ) विशिष्ट सदस्य : संस्थापक सदस्यों द्वारा मनोनीत शैक्षिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अधिकतम दो कार्यकर्ता विशिष्ट सदस्य कहलाएंगे। इन्हें किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। इनका कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल तक रहेगा।
 (ङ) मनोनीत सदस्य : झारखण्ड में समान उद्देश्यों के लिए चलने वाली अन्य प्रांतीय समितियों के एक-एक प्रतिनिधि समिति द्वारा मनोनीत किए जा सकेंगे। इन्हें वार्षिक सदस्यता शुल्क देय नहीं होगा। इनका कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल तक रहेगा।
 (च) पदेन सदस्य : विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्रांतीय संगठन मंत्री एवं विद्या भारती, बिहार क्षेत्र के सचिव एवं संगठन मंत्री पदेन सदस्य होंगे।

3. सदस्यता की समाप्ति :

- (क) सदस्य की मृत्यु होने पर।
 (ख) सदस्य का त्याग पत्र स्वीकृत होने पर।
 (ग) संस्था विरोधी कार्य करने पर।
 (घ) शारीरिक या मानसिक कारणों से असमर्थ होने पर।
 (ङ) बिना पूर्व सूचना के निरंतर चार बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
 (च) अनैतिक अपराध में कारावास का दण्ड पाने पर।
 उपरोक्त कारणों के आधार पर सदस्यता की समाप्ति प्रांतीय समिति करेगी।

पृष्ठ 10/14

प्रधानाचार्य
 आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
 श्रीकृष्ण चन्द्र गौँची शैक्षिक नगर
 कुदलुम, बालासोर, नगडी, राँची-834004

सचिव
 आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
 श्रीकृष्ण चन्द्र गौँची शैक्षिक नगर
 कुदलुम, बालासोर, नगडी, राँची-834004

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :

कार्यकारिणी समिति में 17 सदस्य होंगे। कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे -

- (क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष (ग) संगठन मंत्री (घ) मंत्री
(ङ) सहमंत्री (च) सचिव (छ) सह-सचिव (ज) कोषाध्यक्ष

कार्यकारिणी समिति का गठन प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् निम्नलिखित पद्धति से होगा।

- (क) संस्थापक सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित छः सदस्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे।
(ख) संरक्षक सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित एक सदस्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे। इसके अभाव में स्थान पूर्ति संस्थापक सदस्यों द्वारा होगी।
(ग) साधारण सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो सदस्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे।
(घ) दोनों विशिष्ट सदस्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे।
(ङ) मनोनीत सदस्यों में से दो प्रतिनिधि।
(च) पदेन सदस्यों में से दो सदस्य (प्रांतीय संगठन मंत्री एवं विद्या भारती बिहार क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति से एक प्रतिनिधि) कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे।
(छ) क्षेत्रीय संगठन मंत्री के परामर्श से कार्यकारिणी द्वारा एक सचिव एवं सह-सचिव नियुक्त किए जाएंगे, जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होंगे।

उपर्युक्त सभी सदस्य अपने-बीच से संगठन मंत्री, सचिव एवं सह-सचिव के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों का चयन करेंगे। पदेन सदस्य एवं मनोनीत सदस्य पदाधिकारी के पदधारियों नहीं होंगे। निर्वाचन अधिकारी के रूप में विद्या भारती, बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय समिति द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि कार्य करेंगे। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा।

5. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (क) आवश्यकतानुसार सर्वतन्त्रित तथा अवैतनिक पदों का सृजन करना, समाप्त करना तथा इन पदों पर नियुक्ति, प्रदोषन तथा पदच्युति के निर्णय लेना।
(ख) कार्यकर्ताओं का अनुशासन, कार्य कुशलता और निष्ठा बनाए रखने के लिए सेवा शर्त संबंधी नियम, उप-नियम बनाना।
(ग) समिति के संबद्ध प्रकल्पों, विद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों के आचार्य एवं अन्य कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाना।
(घ) चल रहे विभिन्न प्रकल्पों, विद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों की संबद्धता नियमावली बनाना तथा उसमें संशोधन करना तथा उक्त नियमावली के अनुसार स्थानीय समिति का गठन करना, मार्ग दर्शन करना और नियमन करना।
(ङ) समिति के कार्य संपादन हेतु आवश्यक उप समितियों का गठन करना।
(च) समिति का वार्षिक आय-व्यय अंकेषक द्वारा अंकेक्षित कराकर तथा आगामी वर्ष का बजट पारित कर आमसभा में प्रस्तुती हेतु तैयार करना। साथ ही संस्था का वित्तीय अनुशासन बनाए रखना।
(छ) संविधान की धाराओं में संशोधन हेतु स्पष्ट प्रस्ताव आमसभा के समक्ष रखना।
(ज) संबद्ध प्रकल्पों, विद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों के शैक्षणिक, संस्कारात्मक व प्रशासनिक स्तर को उत्तम बनाने हेतु प्रधानाचार्यों एवं आचार्यों की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण देकर उनका विकास करना।
(झ) प्रकल्पों, विद्यालयों एवं शिक्षा केन्द्रों के मार्ग दर्शन हेतु निरीक्षण की व्यवस्था बनाना एवं योजनानुसार क्रियान्वित करना।
(ञ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सब प्रकार के कार्य करना।

6. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष :

- (क) बैठक की अध्यक्षता करना।
(ख) समान मत विभाजन होने पर निर्णायक मत देना।
(ग) संस्था अपने उद्देश्यों व आदर्शवाद की पूर्ति के मार्ग पर जुटी रहे, इसकी चिन्ता करना।
(घ) व्यक्तिवाद के स्थान पर ध्येयवाद के अनुरूप संस्था कार्यरत रहे, इस दिशा में संरक्षण प्रदान करना एवं मार्ग दर्शन करना।

पृष्ठ 11/14

प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालौंग, नगड़ी, राँची-834004

सचिव
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालौंग, नगड़ी, राँची-834004

उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त दायित्वों का निर्वाह करना तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्यों को करना।

संगठन मंत्री :

संस्था के संगठनात्मक कार्यों की देख-रेख करना तथा इस दृष्टि से आवश्यक संसाधन जुटाना, उचित मर्मदशन आदि प्रमुख कार्य करना।

मंत्री :

- (क) विद्या विकास समिति की समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों का प्रबंध करना, परंतु चल संपत्ति का विक्रय या रेहन रखना कार्यकारिणी समिति के निर्णय से ही हो सकेगा।
- (ख) कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना।
- (ग) सभी प्रकार के व्यय जो बजट के अनुसार हो तथा समिति द्वारा निर्णित करने के लिए आवश्यक हो, की स्वीकृति देना।
- (घ) इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के व्यय के लिए अधिकतम 25,000 रुपये की स्वीकृति देना।
- (ङ) कार्यकारिणी की ओर से समस्त पत्र व्यवहार एवं अदालती कार्य का उत्तरदायित्व वहन करना।
- (च) विद्या विकास समिति के लिए समस्त दान एवं अनुदान की राशि ग्रहण करना।
- (छ) वार्षिक बजट तैयार कर नवीन सत्र के पूर्व कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखना।
- (ज) सचिव एवं सह सचिव का अवकाश स्वीकृत करना एवं आवश्यक सुविधा प्रदान करना।

सहमंत्री :

- (क) मंत्री को उसके विभिन्न कार्यों में सहायता करना।
- (ख) मंत्री द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना एवं मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री का संपूर्ण दायित्व वहन करना।

सचिव :

- (क) विद्या विकास समिति का संबद्ध संस्थाओं का शैक्षणिक, संस्कारात्मक व सामाजिक पक्षों में सुव्यवस्था उत्पन्न करने हेतु नियमानुसार समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना जैसे प्रधानाचार्यों, आचार्यों एवं छात्र-छात्राओं के विकास हेतु सम्मेलनों, शिविरों व विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा विभिन्न योजनाएँ बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना आदि।
- (ख) संकेत इकाईयों से समस्त पत्र व्यवहार करना।
- (ग) संकेत इकाईयों में नियमानुसार नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति एवं स्थानांतरण संगठन मंत्री एवं मंत्री के सहमति से करना।
- (घ) विद्या विकास समिति के समस्त लेखों का देख-रेख करना।
- (ङ) वार्षिक बजट तैयार करने में मंत्री का सहयोग करना।
- (च) विद्या विकास समिति के समस्त मानधन पाने वाले व्यक्ति (सचिव एवं सह-सचिव के अतिरिक्त) का अवकाश स्वीकृत करना एवं आवश्यक सुविधा प्रदान करना।
- (छ) संबद्ध विभिन्न प्रकल्पों, विद्यालयों एवं अन्य शिक्षा केंद्रों की स्थानीय समिति का गठन एवं आवश्यकता पड़ने पर विघटन संगठन मंत्री एवं मंत्री के सहमति से करना।

सह-सचिव :

- (क) सचिव को उसके विभिन्न कार्यों में सहायता करना।
- (ख) सचिव द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना एवं सचिव की अनुपस्थिति में सचिव का संपूर्ण दायित्व वहन करना।

कोषाध्यक्ष :

- (क) विद्या विकास समिति के समस्त आय-व्यय के लेखा का निरीक्षण करना।
- (ख) समिति की आवश्यकतानुसार धन संग्रह करके कोष की व्यवस्था करना।
- (ग) वार्षिक आय-व्यय का लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (घ) समिति के सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त करना, पावती देना तथा इसका विवरण रखना या इसे व्यवस्थित रखने का प्रबंध करना।

पृष्ठ 12/14

सचिव

आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौंधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालौग, नगरी, रौकी-834004

प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौंधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालौग, नगरी, रौकी-834004

7. आमसभा एवं इसके कार्य :

- (क) धारा 2 में अंकित सभी सदस्य आमसभा के सदस्य होंगे।
- (ख) आमसभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।
- (ग) आमसभा संस्था का अंकित आय-व्यय का चिट्ठा तथा अगले वर्ष का संभावित अर्थसंकल्प स्वीकृत करेगी।
- (घ) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी ही आमसभा के पदाधिकारी होंगे।

8. आमसभा की बैठकें :

- (क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है।
- (ख) 1/3 सदस्यों के लिखित माँग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर मंत्री को आमसभा की बैठक बुलानी होगी। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगर मंत्री एक माह के अंदर बैठक नहीं बुलाते हैं तो अध्यक्ष उक्त अवधि के उपरान्त आमसभा की बैठक बुला सकते हैं और आमसभा विचारणीय विषय पर निर्णय ले सकती है।
- (ग) कोरम - आमसभा की बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी (50% + 1)
- (घ) बैठक की सूचना -
 - (i) आमसभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनों पूर्व दी जाएगी।
 - (ii) बैठक की सूचना डाक या सूचनापंजी में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जाएगी।

9. कार्यकारिणी समिति की बैठक :

- (क) समिति के मंत्री द्वारा समय-समय पर संस्था की आवश्यकता के अनुसार समिति की बैठक आहूत की जाएगी। जिसके विचारणीय विषय तथा बैठक के स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना सभी सदस्यों को साधारणतः सात दिन पूर्व या परिस्थिति के अनुसार दी जाएगी। कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होगी।
- (ख) समिति के तुरंत से कम पाँच सदस्यों के लिखित माँग पर अध्यक्ष मंत्री को बैठक बुलाने का आदेश दे सकते हैं।
- (ग) गणपूरक संख्या एवं स्थगित बैठक - बैठक की गणपूरक संख्या चार अथवा कुल सदस्यों का 1/5 भी कम हो। गणपूरक संख्या के अभाव में स्थगित बैठक आधे घंटे बाद पुनः उसी स्थान पर उन्हीं विचारणीय विषयों के विचारार्थ आहूत की जा सकती है और इस स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

10. आय का स्रोत : शुल्क एवं अनुदान

- (क) सदस्यों द्वारा प्राप्त सदस्यता शुल्क
- (ख) विभिन्न इकाइयों द्वारा प्राप्त संबद्धता शुल्क
- (ग) प्रत्येक संबद्ध एवं संचालित विद्यालय से प्रति वर्ष प्रति छात्र एक माह के शिक्षण शुल्क के बराबर व्यवस्था शुल्क।
- (घ) अनुदान - अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति, संस्था, संपर्कित या संबद्ध विद्यालय या सरकार से प्राप्त अनुदान।

11. कोष की व्यवस्था / बैंक खाते का संचालन :

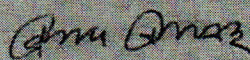
- (क) समिति के नाम से बैंक में खाता खोला जाएगा। जिसके हस्ताक्षरकर्ता मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं कोई एक सदस्य होंगे। राशि की निकासी किन्हीं दो के हस्ताक्षर से होगी।
- (ख) विद्या विकास समिति, झारखण्ड की आय की सभी राशि बैंक में जमा होंगी।
- (ग) अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी व्यक्ति, संस्था या बैंक से ऋण समिति के निर्णयानुसार लिया जा सकेगा।
- (घ) अपने समिति में कार्यरत कार्यकर्ताओं तथा संबंधित इकाइयों को आवश्यकतानुसार समिति ऋण या

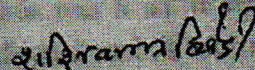
प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालोंग, नगड़ी, राँची-834004

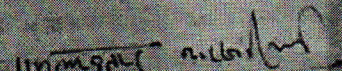
सचिव
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालोंग, नगड़ी, राँची-834004

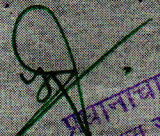
- अनुदान दे सकेंगी। ऋण अदायगी की शर्तें समिति द्वारा निर्धारित होगी।
12. समिति अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान एवं समान उद्देश्य वाली क्षेत्रीय संस्थाओं से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा उस संस्था के नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं वार्षिक शुल्क की अदायगी करेगी।
13. अंकेक्षण :
 (क) संस्था की लेखा पुस्तिका साधारणतया नियमित रूप से संस्था के कार्यालय में रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण कराया जाएगा।
 (ख) निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड एकाउंटन्टे से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।
14. संशोधन :
 संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा।
15. पंजी का निरीक्षण :
 संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निर्वाचित कार्यालय में संस्था के मंत्री के जिम्मे रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य/सरकारी अधिकारी मंत्रों की पूर्व अनुमति से उनका निरीक्षण कर सकते हैं।
16. कानूनी कार्रवाई :
 संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के मंत्री के पदनाम से होगी।
17. संस्था के विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :
 (क) यदि किसी कारणवश संस्था को विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जाएगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा। आमसभा के 3/4 बहुमत से संपुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी।
 (ख) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी संपत्ति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या बाह्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/4 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली निर्वाचित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जाएगी।
 (ग) संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा- 13 एवं 14 का पूर्णतः पालन किया जाएगा।
18. आस्तियाँ एवं दायित्व :
 यह संस्था अविभाजित बिहार राज्य में विद्या विकास समिति, झारखण्ड नाम से निर्वाचित संस्था, जिसका निबंधन संख्या 1082 वर्ष 1994-95 है, के आस्तियों एवं दायित्वों को ग्रहण करती है।
 असामयिक रिक्ति :
 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के पद में असामयिक रिक्तियों की पूर्ति कार्यकारिणी समिति के संस्थापक सदस्यों द्वारा अन्य संस्थापक सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा होगी।

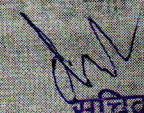
प्रमाणित किया जाता है कि यह "विद्या विकास समिति, झारखण्ड" नामक संस्था की नियमावली को सच्ची प्रति है।


कोषाध्यक्ष


मंत्री


अध्यक्ष


प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र राँची शैक्षिक नगर
कुदुलुम, बालासोर, नगरी, राँची-834004


सचिव
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र राँची शैक्षिक नगर
कुदुलुम, बालासोर, नगरी, राँची-834004

हासिल करने का प्रमाण-पत्र

निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 28.11.2016

विषय : निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय

(निबंधन संख्या - 127/2016/2007)

प्रमाणित किया गया है कि निम्नलिखित प्रमाण-पत्र 100 के प्रमाणों के अनुसार मान्य किया गया है।

- (1) स्मृति पत्र का प्रमाण
- (2) नियमबद्धी का प्रमाण
- (3) कार्यकारी पत्र का प्रमाण



झारखण्ड सरकारी निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

श्री B.D. VIKAS SAMITI, JHARKHAND, #.NL.17, MSIN TOSF DHUKES
VOLONY, #IN00, DORANDA, RANCHI, JHARKHAND

संख्या के अन्तर्गत संख्या 1270 दिनांक 21/07/2016 के अन्तर्गत
दिनांक 28/11/2016 को संशोधन प्रमाणित किया गया।

सचिव निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

प्रधानाचार्य

आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौधी शैक्षिक नगर
कदम, बालालीग, नगड़ी, राँची-834004

सचिव

आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गौधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालीग, नगड़ी, राँची-834004